न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

श्रीमती गैरीदेवी पत्नि स्व. नाहरसिंह जी, जाति- राजपूत, निवासी- गोकुलवाडी, शिवगंज, हाल- कर्नल गली, दादावाडी स्कूल के सामने, शिवगंज, तह. शिवगंज, जिला- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

1. श्री करणसिंह पुत्र स्व. नाहरसिंह जी, जाति- राजपूत, निवासी- गोकुलवाडी, शिवगंज, हाल- कर्नल गली, दादावाडी स्कूल के सामने, शिवगंज, तह. शिवगंज
2. श्री शैतानसिंह पुत्र स्व. श्री नाहरसिंह, जाति-राजपूत, निवासी- गोकुलवाडी, शिवगंज, हाल- कर्नल गली, दादावाडी स्कूल के सामने, शिवगंज, तह. शिवगंज
3. श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र स्व. श्री नाहरसिंह, जाति- राजपूत के कायम मुकाम:-

3/1. श्रीमती ममता पत्नि लक्ष्मणसिंहजी, पुत्री खीमसिंहजी, जाति-राजपूत, निवासी-संगीता टेक्सटाइल्स शोरुम, बैंगलोर रोड पोस्ट ऑफिस सिंधनुर, जिला-रायचुर (कर्नाटक)

3/2. श्री राजवीर सिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- संगीता टेक्सटाइल्स शोरुम, बैंगलोर रोड पोस्ट ऑफिस सिंधनुर, जिला-रायचुर (कर्नाटक)

4. श्रीमती तरुणा पुत्री नाहरसिंह जी पत्नि श्री पंकज गेहलोत, जाति-राजपूत, निवासी- राठौड़ लाईन, सिरोही, तहसील व जिला- सिरोही
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, शिवगंज, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 127/2016

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार, अपीलार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री पूरणसिंह देवड़ा, प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से
3. अधिवक्ता श्री कैलाश नामा, प्रत्यर्थी संख्या- 3/2 (राजवीरसिंह) की ओर से
4. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, प्रत्यर्थी संख्या- 4 की ओर से
5. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या- 5 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 13 अगस्त, 2018**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम बड़गांव, पटवार हल्का बडगांव, तहसील- शिवगंज के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1088 दिनांक 21.12.1978 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या-1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री पूरणसिंह देवड़ा उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या- 3/2 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश नामा उपस्थित हुये तथा प्रत्यर्थी संख्या- 4 की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुये। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या- 5 की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थित दी गई। जबकि प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या- 3/1 को सम्मन की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुई।

.....पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी के पति श्री नाहरसिंह पुत्र श्री सूरतसिंह के नाम से खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम बड़गांव, पटवार हल्का बडगांव के खसरा संख्या 183 रकबा 30 बीघा आई हुई थी, जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अपीलार्थी के पति श्री नाहरसिंह के नाम खातेदारी कब्जे काश्त की दर्ज थी। अपीलार्थी के पति नाहरसिंह जी का स्वर्गवास दिनांक 10.7.1978 को हुआ था एवं अपीलार्थी के पति नाहरसिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का नामान्तरकरण केवल नाहरसिंह के तीन पुत्रों (प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 तथा प्रत्यर्थी संख्या 3/1 व 3/2 के पति/पिता) के नाम से ही दायर कर स्वीकृत किया गया है, जो विधि सम्मत नही है। अपीलार्थी उक्त श्री नाहरसिंह की पत्नि है व प्रत्यर्थी संख्या-4 पुत्री होने से उक्त श्री नाहरसिंह पुत्र सुरतसिंह जी की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। उसके बावजूद भी उत्तराधिकार का नामान्तरकरण केवल उक्त श्री नाहरसिंह जी के तीन पुत्रों के नाम से ही दर्ज किया जाकर स्वीकृत किया गया है। जबकि उत्तराधिकार का नामान्तरकरण अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 4 व प्रत्यर्थी संख्या 3/1 व 3/2 के पति/पिता के पक्ष में दायर कर स्वीकृत किया जाना चाहिये था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि अपीलार्थी के पति श्री नाहरसिंह ने अपने जीवनकाल में एक वसीयतनामा अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 11.7.1963 को निष्पादित किया था। अपीलार्थी के पति श्री नाहरसिंह की मृत्यु के बाद अपीलार्थी ने उक्त वसीयतनामा भी राजस्व अधिकारियों को बताया था और राजस्व अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया कि अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया गया है। इस कारण से अपीलार्थी इस विश्वास में रही कि अपीलार्थी का नाम उक्त कृषि भूमि में दर्ज हो गया है। अपीलार्थी के पति श्री नाहरसिंह की मृत्यु के बाद अपीलार्थी सामाजिक रिति रिवाजों के कारण अपने घर पर ही रहकर अपने बच्चों का लालन पालन किया। अपीलार्थी ने दिनांक 12.9.2016 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपने जीवनकाल के दौरान सम्पति का वसीयतनामा करवाने की इच्छा जाहिर की तब अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपीलार्थी को बताया कि उक्त भूमि में अपीलार्थी का नाम दर्ज नही है, तब प्रश्नगत नामान्तरकरण की नकल हेतु दिनांक 12.9.2016 को आवेदन किया एवं नकल दिनांक 15.9.2016 को प्राप्त हुई तब अपीलार्थी ने पुन: अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर बिना किसी विलम्ब के जानकारी तिथि से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की है। यह कि अपीलार्थी उक्त श्री नाहरसिंह की धर्म पत्नि है एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पति की सम्पति में पुत्र, पुत्रियां व पत्नि का समान रुप से हक हिस्सा बनता है, लेकिन अधीनस्थ राजस्व कार्मिकों ने अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण दायर नही किया। अपीलार्थी के हक में नामान्तरकरण दर्ज नही होने से अपीलार्थी अपने हक अधिकार से वंचित हुई है और जब तक प्रश्नगत नामान्तकरण को निरस्त नही किया जायेगा तब तक अपीलार्थी को उसका हक अधिकार नही मिल पायेगा। अत: अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1088 दिनांक 21.12.1978 को निरस्त किया जावे एवं अधीनस्थ तहसीलदार, शिवगंज को उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थी का नाम भी दर्ज करने हेतु

....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

निर्देशित किया जावे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या- 3/2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान जबाव में अंकित तथ्यों की ओर से यह व्यक्त किया कि प्रश्नगत नामान्तरण वर्ष 1978 में दायर होकर स्वीकृत हुआ है जिसके विरुद्ध अपीलार्थी ने विलम्ब से अपील प्रस्तुत की है। उक्त कृषि भूमि के मौके पर प्रत्यर्थी संख्या 3/2 के पिता श्री लक्ष्मणसिंह जी भी उक्त श्री नाहरसिंह के साथ खेती करते थे एवं प्रत्यर्थी संख्या 3/2 के पिता ने उक्त कृषि भूमि में काफी करम खर्च कर व श्रम कर भूमि को उपजाउ बनाया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि पर कभी काश्त नही की गई है एवं न ही अपीलार्थी का उक्त कृषि भूमि पर कब्जा रहा है। उक्त सम्पति स्वर्गीय श्री नाहरसिंह की स्वअर्जित सम्पति नही थी। अपीलार्थी द्वारा जिस वसीयत का उल्लेख किया गया है उस वसीयत में उक्त कृषि भूमि का कोई वर्णन नही है तथा न ही श्री नाहरसिंह द्वारा उक्त कृषि भूमि की कोई वसीयत निष्पादित की गई है। अपीलार्थी के पति फौज में कर्नल थे और फौज में नौकरी करने पर प्रत्येक फौजी युद्ध के समय अपनी सम्पति की वसीयत करके जाते थे वह वसीयत युद्ध से वापस लौटाने पर प्रभाव में नही रहती है। अपीलार्थी के पति श्री नाहरसिंह फौज की नौकरी से सेवानिवृत होकर घर आ गये थे और उनकी दिनांक 10.7.1978 को मृत्यु हो चुकी है। अपीलार्थी को प्रश्नगत नामान्तरकरण के संबंध में व उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थी का नाम दर्ज नही होने की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है। उसके बावजूद भी अपीलार्थी ने अपने पौत्र (प्रत्यर्थी संख्या 3/2) को उक्त कृषि भूमि से वंचित करने व बेदखल करने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की है। प्रत्यर्थी संख्या 3/2 के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि नामान्तरकरण एक समरी एवं फिजकल प्रोसेडिंग जिसके जरिये अधिकारों का निर्धारण नही किया जा सकता है, अधिकारों की प्राप्ति हेतु अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय में खातेदारी घोषणा का वाद दायर करना चाहिये। नामान्तरकरण के विरुद्ध अपील के जरिये अधिकारों का निर्धारण नही किया जा सकता है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे। बहस के दौरान प्रत्यर्थी संख्या- 1, 2 व 4 के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि स्वर्गीय नाहरसिंह जी की उक्त कृषि भूमि में स्वर्गीय नाहर सिंह जी की मृत्यु के बाद स्वर्गीय नाहरसिंह जी के सभी उत्तराधिकारियों का नाम दर्ज करना चाहिये था, लेकिन अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या- 4 का नाम दर्ज नही किया गया है, इसलिये अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या- 4 का नाम भी स्वर्गीय नाहरसिंह जी की उक्त कृषि में दर्ज किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है। बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, बडगांव द्वारा नियमानुसार नामान्तरकरण दायर किया गया जिसे तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 21.12.1978 को स्वीकृत किया गया है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि ग्राम बडगांव, पटवार हल्का बडगांव, तहसील शिवगंज के खसरा संख्या 183 रकबा 30 बीघा किस्म बंजर (जो जमाबंदी संवत 2065 से 2068 में खसरा संख्या 183/1 रकबा 16 बीघा किस्म बंजर एवं खसरा संख्या 226/1 रकबा 14 बीघा किस्म बंजर दर्ज है) कृषि भूमि के खातेदार श्री नाहरसिंह पुत्र श्री सुरतसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- शिवगंज की मृत्यु के

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

बाद उक्त कृषि भूमि के संबंध में हल्का पटवारी, बडगांव द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 तथा प्रत्यर्थी संख्या 3/1 व 3/2 के पति/पिता के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 1088 दायर किया गया जिसे तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 21.12.1978 को स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तरकरण के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध भारतीय मियाद अधिनियम की धारा- 5 के तहत एक प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ अलग से प्रस्तुत किया गया था, जो इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र संख्या 50/2016 पर दर्ज रजिस्टर होकर बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा धारा- 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र संख्या 50/2016 में पारित निर्णय दिनांक 10.8.2018 के अनुसार अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम बडगांव, पटवार हल्का बडगांव के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1088 दिनांक 21.12.1978 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया गया।

प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि उक्त कृषि भूमि के खातेदार श्री नाहर सिंह पुत्र श्री सुरतसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- शिवगंज की मृत्यु के बाद उक्त कृषि के संबंध में हल्का पटवारी, बड़गांव द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 तथा प्रत्यर्थी संख्या 3/1 व 3/2 के पति/पिता के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 1088 दायर किया गया जिसे तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 21.12.1978 को स्वीकृत किया गया है, जिसमें अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या- 4 का नाम दर्ज नही किया गया है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी गेरीदेवी मृतक खातेदार श्री नाहरसिंह पुत्र श्री सुरतसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- शिवगंज की पत्नि है। जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा- 8 के अुनसार अनुसूची के वर्ग 1 में विर्निदिष्ट प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने से श्री नाहरसिंह पुत्र श्री सूरतसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- शिवगंज की उक्त कृषि भूमि में अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकार रखती है। ऐसी स्थिति में, प्रश्नगत नामान्तरकरण को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार, शिवगंज को मृतक खातेदार श्री नाहरसिंह पुत्र श्री सुरतसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- शिवगंज के विधिक उत्तराधिकारियों के संबंध में जांच कर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए पुन: विधि अनुसार नामान्तरकरण दायर कर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अत: अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम बड़गांव, पटवार हल्का बडगांव के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1088 दिनांक 21.12.1978 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार, शिवगंज को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक खातेदार श्री नाहरसिंह पुत्र श्री सुरतसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- शिवगंज के विधिक उत्तराधिरियों के संबंध में जांच कर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए पुन: विधि अनुसार नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करने की कार्यवाही करे। निर्णय सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
अति. जिला कलेक्टर, सिरोही